Enclosure No-1

संख्या-4397/15-7-161391/99 (4) (3)

प्रेषक,

श्री [illegible] सिंह निरंजन
विशेष कार्याधिकारी
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 सामुदायिक केन्द्र,
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

शिक्षा अनुभाग 7। लखनऊ : दिनांक: 29 अक्टूबर, 1999

विषय:- एल०एच०के० स्टडी सेंटर साईं भवन चोलापुर, वाराणसी को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एल०एच०के० स्टडी सेंटर साईं भवन चोलापुर, वाराणसी को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

(1) विद्यालय की पंजीकृत नियमावली का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(2) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(3) विद्यालय में कम से कम 25 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन्स नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

(5) संस्था शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

Principal
L.H.K. Study Centre School
Sai, P.O. Udaipur (Cholapur)
Varanasi-221 001 (U.P.)

Vibha Singh
प्रबन्धक
लोकहित किरन अध्ययन केन्द्र
सांई, उदयपुर (चोलापुर)
वाराणसी-221101

Principal
L.H.K. Study Centre School
Sai, P.O. Udaipur (Cholapur)
Varanasi-221 001 (U.P.)

Vibha Singh

वाराणसी-221101

(7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उसका पालन करेगी।

(8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/ संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

2- प्रतिबंध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि-

(1) संस्था का भवन/कक्षा कक्ष निर्धारित मानक के अनुसार हो।

(2) आवेदन पत्र यदि निर्धारित तिथि के बाद जमा हुआ हो, तो विलम्ब शुल्क की स्थिति स्पष्ट की जाय।

(3) विद्यालय के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों की भांति वेतन दिया जायेगा।

(4) संस्था के लिए निजी भूमि/भवन की व्यवस्था की जायेगी।

(5) अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की स्थिति स्पष्ट की जायेगी।

भवदीय

(माधव सिंह निरंजन)
विशेष कार्याधिकारी

पृ०सं०-4397(1)/15-7-99 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, वाराणसी।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी।
4- निदेशक, अखिल भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ।
5- प्रबंधक, एल०एच०के० स्टडी सेन्टर, साईं [illegible] वाराणसी।

आज्ञा से

(माधव सिंह निरंजन)
विशेष कार्याधिकारी।

Principal
L.H.K. Study Centre School
Sai, P.O. Udaipur (Cholapur)
Varanasi-221 001 (U.P.)

9/5/19
Principal
L.H.K. S...
Sai, P.O. ... (Cholapur)
Va... 001 (U.P.)

Vibha Singh

Vibha Singh
प्रबन्धक
लोकहित किरन अध्ययन केन्द्र
साईं, उदयपुर (चोलापुर)
वाराणसी-221101